न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री अशोक कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 174/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/494

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी

1.हुकमाराम पुत्र गोरखाराम
2.ठाकराराम पुत्र गोरखाराम
3.मुन्नाराम पुत्र गोरखाराम
जाति जाट निवासी पतासर
तहसील पचपदरा वर्तमान
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

1.निम्बाराम पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
2.पदमाराम पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
3.उदयराम पुत्र सूरताराम
4.दुर्गाराम पुत्र सूरताराम
5.केशी पत्नि सुरताराम
6.चेतनराम पुत्र नगाराम
7.दमाराम पुत्र नगाराम
8.भंवराराम पुत्र नगाराम
9.भंवरी पुत्री नगाराम
10.ममता पुत्री नगाराम
11.इन्द्रा पुत्री नगाराम
12.धर्माराम पुत्र नगाराम
13.सुरेशराम पुत्र नगाराम
प्रतिवादी संख्या 11 से 13 नाबालिग जरिए वली बड़ा भाई दमाराम पुत्र नगाराम
14.हड़मानराम पुत्र हीराराम
15.हड़माना पुत्र मेराज
16.माला पुत्र मेराज
17.अणदू पत्नि मालाराम
18.बुधा पुत्र जोगाराम
19.खरथा पुत्र तगाराम
20.कानूदेवी पत्नि हड़मानाराम
जाति जाट निवासी पतासर
तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(मुहर: सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

राजस्व वाद संख्या 174 / 2024
हुकमाराम बनाम निम्बाराम वगैरा

21.स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा मण्डली जरिए शाखा प्रबंधक

22.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 28·01·2026

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पतासर तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 80, 81, 82, 89, 94, 95, 96, 107 व 108 कुल क्षेत्रफल 77.6995 हैक्टेयर भूमि वक्त सेटलमेंट मुतवफी लक्ष्मणाराम के नाम दर्ज हुई थी। लक्ष्मणाराम के सन् 1965 में फौत होने पर उनके वारिसान् चार पुत्र जोगा, पेमा, मेराज व हीरा के नाम खातेदारी में दर्ज हुए थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में चारो भाईयो का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था तथा इसीनुसार मौके पर काबिज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में सवंत् 2025 से 2028 तक हिस्सा सही दर्ज हुआ था। तत्पश्चात् आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत 2029—2032 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के दादा पेमाराम ने हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/2 हिस्सा अवैध रूप से रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया,जिसके कारण वादीगण को क्षति हो रही है, क्योंकि पेमाराम के परिवार का 1/2 हिस्सा नही होकर 1/4 हिस्सा ही है,लेकिन रिकॉर्ड में पेमाराम के परिवार का गलत इन्द्राज होने के कारण शेष जोगाराम, मेराजराम व हीरा के परिवार का हिस्सा प्रभावित हो रहा है।.अतं वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियों में जमाबंदी सवंत् 2029—2032 में पेमाराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का गलत हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 दुरूस्त करते हुए वादीगण का हीराराम के परिवार में 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा का खातेदारी काश्तकार घोषित करते हुए,वादीगण का हिस्सा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद—पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन् तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन् तामिल शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण विवाद के विन्दू निहित नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण के वाद पत्र का अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादीगण ने अपने वादपत्र को सावित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW.01 हुकमाराम व PW.02 ठाकराराम के बयानात् कलमवद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 वादग्रस्त भूमि की जमावंदी सवंत् 2018 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 02 जमावंदी सवंत् 2021–2024 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 03 जमावंदी सवंत् 2036–2039 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 04 जमावंदी सवंत् 2029–2032 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 05 व 06–ई. हस्ताक्षरित वादग्रस्त भूमि की जमावंदी प्रदर्शित करवाए गए।

4.हमने उभय–पक्षकारान् अधिवक्तां की वहस सुनी। दौराने वहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि वादीगण की ओर से वादपत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा,वंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वावत् लाया गया है,जिसमें सफलता मिलने की पूर्व संभावना है। मुतवफी लक्ष्मणाराम की खातेदारी भूमि ग्राम पतासर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 80, 81, 82, 89, 94, 95, 96,107 व 108 कुल क्षेत्रफल 77.6995 हैक्टेयर वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी। लक्ष्मणाराम के चार पुत्र जोगा,पेमा, मेराज व हीरा थे। लक्ष्मणाराम का सन् 1965 में देहान्त हुआ था। लक्ष्मणाराम के फौत होने पर उनके चार पुत्रो के नाम खातेदारी में बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 दर्ज हुए,जो कि चौसाला जमावंदी सवंत् 2025–2028 तक सही हिस्सा दर्ज होता आया। आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत् 2029–2032 में पूर्व की प्रविष्टि को दोहराने के वजाय हल्का पटवारी ने लक्ष्मणाराम के वारिसान् जोगा, पेमा, मेराज व हीरा बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज करने के वजाय पेमाराम के वारिसान् का 1/2 हिस्सा व मेराज, हीरा का 1/4 व 1/4 हिस्सा बुधाराम, तगाराम पि. जोगा का अशुद्ध दर्ज किया गया,जो कि आंदिनांक् रिकॉर्ड में गलत हिस्सा दर्ज होता आ रहा है। जबकि वास्ताविक तथ्य यह है कि वादग्रस्त भूमियों में लक्ष्मणाराम के वारिसान् चार पुत्रो के परिवार का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में अवैध हिस्सा दर्ज होने के कारण प्रतिवादी वादीगण को कब्जा–शुदा भूमि में दखलदांजी करने के प्रयासरत होने लगं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को कही बार रेकर्ड दुरूस्ती करने का निवेदन किए जाने पर उन द्वारा केवलमात्र आश्वासन ही दिए गए,लेकिन रिकॉर्ड दुरूस्ती नही करवाए। इस कारण श्री न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गयस है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया की वादीगण की ओर से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

साक्ष्य गवाही व दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित किया है कि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का गलत हिस्सा दर्ज हो रखा है,जो कि वादीगण रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने के हकदार है। अतं में निवेदन कीया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 से 14 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 05 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 17 व 18 का 1/4 हिस्सा खातेदार घोषित करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 से 14 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के कब्जाशुदा भूमि में दखलदांन्जी नहीं करे।

5.हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात व बयानात् का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया की ग्राम पतासर तहसील पचपदरा (वर्तमान तहसील कल्याणपुर) की खेत खसरा संख्या 80, 81, 82, 89, 94, 95, 96, 107 व 108 रकबा 480 बीघा भूमि लक्ष्मणा वल्छ मूला कौम जाट सा. बलाऊ की आवगी खातेदारी में दर्ज थी,जो कि प्रदर्श 01 जमाबंदी सवंत् 2018 से स्पष्ट है। प्रदर्श 02—वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत् 2019—2024 में पेमाराम, मेराज, हीरा पि. लिछमणा 3/4 हिस्सा व तगाराम, बुधा पि. जोगा 1/4 जाट सा. बलाऊ पतासर दर्ज है। इस प्रकार यह भी भली भांति स्पष्ट है कि लक्ष्मणाराम के वारिसान् में चार पुत्र जोगा, पेमा, मेराज व हीरा थे तथा लक्ष्मणाराम के फौत होने पर चार पुत्रो के नाम वादग्रस्त भूमियों में इन्द्राज हुए तथा चार भाईयों का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था,जो प्रदर्श 02 के अवलोकन से स्पष्ट है। तत्पश्चात् पूर्व की प्रविष्टि को रिकॉर्ड में दोहराने के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के पिता सुरता का 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा व मेराज वल्द लक्ष्मणा, गोरखा, हड़मान पि.हीरा 1/4 हिस्सा एवं बुधा, तगाराम पि. जोगा 1/4 हिस्सा अशुद्ध दर्ज किया गया,जो प्रदर्श 03 व 04 अवलोकन से प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है की वादग्रस्त भूमियों में दोहराने चौसाला जमाबंदी संधारण के समय हिस्सा गलत अंकन होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हुई है। इस में पक्षकारान् को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित किया है कि वादग्रस्त भूमियों में लक्ष्मणाराम के चार पुत्र जोगा, पेमा, मेराज व हीरा का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा है, जो कि प्रदर्श 02 अवलोकन से साबित है। तत्पश्चात् रिकॉर्ड संधारण के दौरान पेमाराम के परिवार का 1/4 हिस्सा की जगह 1/2 हिस्सा गलत दर्ज होने के कारण पक्षकारान् के हिस्से गलत दर्ज हो गए,जो कि रिकॉर्ड दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती है। इसके अलावा प्रतिवादी को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

रजिस्ट्री सम्मन् जारी किए गए थे,तो सम्मन् तामील शुदा प्राप्त हुए। लेकिन प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने की प्रतिवादी की मौन स्वीकृति हैं,क्योंकि यदि प्रतिवादी को उजर–एतराज होता तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उजर पेश करते, लेकिन ऐसा प्रतिवादी द्वारा नही किया गया। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा की वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पतासर तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 80, 81, 82, 89, 94, 95, 96, 107 व 108 कुल क्षेत्रफल 77.6995 हैक्टैयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 से 14 का 1/4 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/4 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 व 18 का 1/4 हिस्सा घोषित करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 से 14 का 1/4 हिस्सा में से वादीगण का 1/3 हिस्सा भूमि का बाई मिटस एण्ड़ बाउण्डस् बंटवाड़ा (By metes and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पाटोदी को 1000/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिए पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/01/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 174/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/494

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
1.हुकमाराम पुत्र गोरखाराम 2.ठाकरांराम पुत्र गोरखाराम 3.गुन्नाराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी पतासर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा	1.निम्बाराम पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम 2.पदमाराम पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम 3.उदयराम पुत्र सूरताराम 4.दुर्गाराम पुत्र सूरताराम 5.केशी पत्नि सुरताराम 6.चेतनराम पुत्र नगाराम 7.दमाराम पुत्र नगाराम 8.भंवराराम पुत्र नगाराम 9.भंवरी पुत्री नगाराम 10.ममता पुत्री नगाराम 11.इन्द्रा पुत्री नगाराम 12.धर्माराम पुत्र नगाराम 13.सुरेशराम पुत्र नगाराम (प्रतिवादी संख्या 11 से 13 नाबालिग जरिए वली बड़ा भाई दमाराम पुत्र नगाराम) 14.हड़मानराम पुत्र हीराराम 15.हड़माना पुत्र मेराज 16.माला पुत्र मेराज 17.अणदू पत्नि मालाराम 18.बुधा पुत्र जोगाराम 19.खरथा पुत्र तगाराम 20.कानूदेवी पत्नि हड़मानाराम जाति जाट निवासी पतासर तहसील पाटोदी जिला बालोतरा 21.स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा मण्डली जरिए शाखा प्रबंधक 22.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 174/2024

निर्णय दिनांक :–28.1.2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

वादीगण की ओर से श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पतासर तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 80, 81, 82, 89, 94, 95, 96, 107 व 108 कुल क्षेत्रफल 77.6995 हैक्टैयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 से 14 का 1/4 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/4 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 व 18 का 1/4 हिस्सा घोषित करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 से 14 का 1/4 हिस्सा में से वादीगण का 1/3 हिस्सा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By metes and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पाटोदी को 1000/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिए पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम—1955 के नियम—18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

28/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	—	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	——
जोड़	—	जोड़	——

28/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा